

राजस्थान सरकार
उद्योग (युप-1) विभाग

क्रमांक प.28(13)उद्योग/1/2020

जयपुर, दिनांक

02 FEB 2021

आदेश

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विशेष विनिधान अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत घोषित विशेष विनिधान क्षेत्रों हेतु क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में प्रबन्ध निदेशक, रीको एवं पदेन आयुक्त, दिल्ली मुम्बई इण्स्ट्रीयल कॉरिडोर को उक्त घोषित क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

४०

(चिन्मयी गोपाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उद्योग मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उद्योग विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, रीको लिं, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, डीएमआईसी, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडा, भिवाड़ी।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव